संख्या Z-11017/8/2026-ATD (54098)
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन)

5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003
दिनांक : 25.08.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा योजना) के अंतर्गत एक घटक के रूप में सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता की परियोजना (डीएएलएम परियोजना) का 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान संशोधन एवं निरंतरता के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने 16वें वित्त आयोग चक्र, अर्थात् वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा योजना) के अंतर्गत एक घटक के रूप में सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता की परियोजना (डीएएलएम परियोजना) को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। संशोधित डीएएलएम परियोजना का दायरा दृष्टि दिव्यांगता के अतिरिक्त श्रवण दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता तथा अन्य अधिगम दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। परियोजना को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा सामूहिक अधिगम संसाधनों के लिए सुगम्य अधिगम सामग्री को शामिल करके और अधिक समावेशी बनाया गया है। इसके साथ ही, ब्रेल पुस्तकों के अतिरिक्त डिजिटल अधिगम संसाधनों पर भी अधिक जोर दिया गया है।

2. केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत संशोधित डीएएलएम दिशानिर्देशों की एक प्रति सूचना एवं आगे व्यापक प्रसार हेतु संलग्न की जा रही है। संशोधित दिशानिर्देश विभाग की वेबसाइट www.depwd.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

3. अनुरोध है कि परियोजना का व्यापक प्रसार विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें विशेष विद्यालय/समावेशी विद्यालय भी शामिल हैं, तथा केन्द्र और राज्य स्तर पर शिक्षा एवं समाज कल्याण

विभागों के मध्य किया जाए। परियोजना के अंतर्गत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने अथवा सुगम्य अधिगम सामग्री प्राप्त करने के संबंध में किसी अन्य जानकारी के लिए निदेशक, एनआईईपीवीडी (देहरादून) से संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नक: यथोक्त

Sandeep Kumar Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2026.08.25 13:00:06 +05'30'

(संदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं.: 011-2436 9027

ई-मेल आईडी: sandeepkumar.rth@nic.in

adipsection-depwd@nic.in

सेवा में

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव।
2. सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन-2, नई दिल्ली।
3. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन-2, नई दिल्ली।
4. मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, 22वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली - 110001।
5. विभाग के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक।
6. विभाग के सभी उप सचिव/निदेशक।

प्रतिलिपि

1. अवर सचिव (डीडीआरएस) — सभी डीडीआरएस-वित्तपोषित विद्यालयों/संगठनों में उक्त सूचना का व्यापक प्रसार करने के अनुरोध सहित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के निजी सचिव, भारत सरकार।
2. माननीय राज्य मंत्री (बी.एल.वी.) के निजी सचिव।
3. सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के वरिष्ठ निजी सचिव।
4. अपर सचिव (एम.के.एन.) के निजी सचिव।
5. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (डीटी) के प्रधान निजी सचिव।

सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना के संबंध में दिशानिर्देश

के अंतर्गत

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम
के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)

दिनांक 01.04.2026 से लागू

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

1. पृष्ठभूमि

मानव की पूर्ण क्षमता को विकसित करने के लिए शिक्षा अत्यंत महत्तवपूर्ण है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के तहत परिकल्पित अनुसार, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, समानता, विज्ञान में प्रगति, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संरक्षण में भारत की निरंतर प्रगति और नेतृत्व के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना आवश्यक है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और दिव्यांग छात्रों के लिए भी इसका समान महत्व है।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांगजन थे, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21% थे। नवीनतम यूडीआईडी डेटा (08.07.2026 तक की स्थिति) के अनुसार, यूडीआईडी कार्ड धारक बेंचमार्क दिव्यांगजनों (40% और उससे अधिक) की कुल संख्या 1,39,70,646 है।

दृष्टि दिव्यांगता वाले छात्र: दृष्टि दिव्यांगता वाले छात्रों में ऐसे छात्र शामिल हैं जो दृष्टिबाधित और निम्न (कम) दृष्टि (लो विजन) से ग्रस्त हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 निम्न (कम) दृष्टि को दिव्यांगता की एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देता है। दृष्टिबाधित छात्र मुख्य रूप से ब्रेल पुस्तकों और अन्य सुगम्य संसाधनों पर निर्भर होते हैं, जबकि निम्न (कम) दृष्टि वाले छात्र अक्सर उपयुक्त रूप से डिज़ाइन की गई शिक्षण सामग्री, सहायक तकनीकों और सुगम्य शैक्षणिक संसाधनों के माध्यम से अपनी शेष दृष्टि का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। भारत सरकार के नवीनतम यूडीआईडी डेटा (08.07.2026 तक की स्थिति) के अनुसार, 13,63,361 दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, जिनमें से 4,95,553 की आयु 35 वर्ष से कम है और वे स्कूल/कॉलेज जाने वाले छात्र माने जा सकते हैं।

वाक् और श्रवण दिव्यांगता वाले छात्र: वाक् और श्रवण दिव्यांगता वाले छात्रों को सुगम्य शिक्षण सामग्री (भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) आधारित और कैप्शनयुक्त अधिगम सामग्री सहित) की सीमित उपलब्धता के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में अक्सर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप, मुख्यधारा की शिक्षा में उनकी भागीदारी कम रहती है और ड्रॉपआउट (पढ़ाई छोड़ने की) दर तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। सुगम्य शिक्षण संसाधनों के विकास से अधिगम के परिणामों में सुधार होगा, रिटेंशन (पढ़ाई जारी रखने) में वृद्धि होगी, और उच्च शिक्षा में ऐसे छात्रों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषय, वित्त और अन्य व्यावसायिक धाराएं शामिल हैं। भारत सरकार के नवीनतम यूडीआईडी डेटा (08.07.2026 तक की स्थिति) के अनुसार, 13,72,986 वाक् और श्रवण दिव्यांगजन हैं, जिनमें से 6,19,540 की आयु 35 वर्ष से कम है और उन्हें स्कूल/कॉलेज जाने वाले छात्र माना जा सकता है।

बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्र: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता, विकासात्मक विलंब और किसी अन्य अधिगम (सीखने) संबंधी दिव्यांगता वाले छात्रों को अक्सर उनकी सीखने संबंधी आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त और सुगम्य शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण बुनियादी शैक्षिक अवसरों से भी वंचित होना पड़ता है। इससे कम नामांकन, खराब शिक्षण परिणामों और उच्च ड्रॉपआउट दरों में बढ़ोत्तरी होती है। सरल, आसानी से पढ़ने योग्य और शिक्षार्थी-अनुकूल शैक्षिक संसाधनों के विकास से शिक्षा प्रणाली में अधिक भागीदारी और रिटेंशन की सुविधा मिलेगी, मूलभूत शिक्षा में सुधार होगा, और व्यावसायिक, कौशल-विकास तथा अन्य शैक्षणिक मार्गों में उनके समावेश को समर्थन मिलेगा। भारत सरकार के नवीनतम यूडीआईडी डेटा (08.07.2026 तक की स्थिति) के अनुसार, बौद्धिक दिव्यांगजनों की संख्या 22,31,135 हैं, जिनमें से 15,44,035 की आयु 35 वर्ष से कम है और उन्हें स्कूल/कॉलेज जाने वाले छात्रों के रूप में माना जा सकता है।

दिव्यांगजन छात्रों की सेवा करने वाले अधिकांश संगठन और विशेष स्कूल छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण संसाधनों और अन्य निर्देशात्मक सामग्रियों तक पहुंच सक्षम करने के लिए सुगम्य प्रारूपों में शैक्षिक सामग्री प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि, दिव्यांगता श्रेणियों और शैक्षिक स्तरों में सुगम्य शिक्षण सामग्री की उपलब्धता अभी भी में महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।

भारत के संविधान का अधिदेश सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से वंचित समूहों के लिए, एक समावेशी समाज को बढ़ावा मिले। संविधान का अनुच्छेद 16 अवसर की समानता निश्चित करता है और गैर-भेदभाव तथा समावेशन के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है।

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों और सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख कानून के रूप में कार्य करता है। अध्याय VI (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा) की धारा 31(1), अन्य बातों के साथ-साथ, 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को उसके निकटतम विद्यालय या उसकी पसंद के विशेष विद्यालय में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। धारा 31(2) में आगे यह प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उपयुक्त वातावरण में नि:शुल्क शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो।

इसके अलावा, अध्याय III (शिक्षा) की धाराएँ 17(च) और 17(छ) ब्रेल सहित संवर्धित और वैकल्पिक संचार साधनों के प्रचार के लिए, और 18 वर्ष की आयु तक बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्रों को नि:शुल्क पुस्तकें, शिक्षण सामग्री और उपयुक्त सहायक यंत्र/सहायक उपकरण प्रदान करने का प्रावधान करती हैं।

इन उद्देश्यों के अनुसरण में, दृष्टि दिव्यांगता वाले स्कूल जाने वाले छात्रों को ब्रेल सामग्री और किताबें प्रदान करने के लिए 2014-15 में "ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए सहायता" की केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई थी। डिजिटल और वैकल्पिक सुगम्य प्रारूपों के बढ़ते महत्व सहित, और अन्य श्रेणियों की दिव्यांगता वाले शिक्षार्थियों को सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से, सरकार ने बाद में इस पहल के दायरे का विस्तार किया और इसे "सुगम्य शिक्षण सामग्री का विकास (डीएएलएम)" परियोजना के रूप में जारी रखा।

शिक्षा में सार्वभौमिक डिज़ाइन (UDL) का सिद्धांत प्रस्तुतीकरण के कई साधन प्रदान करने पर जोर देता है ताकि विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी उपयुक्त प्रारूपों में शैक्षिक सामग्री तक पहुँच प्राप्त कर सकें। तदनुसार, शिक्षण सामग्री और पाठ्यपुस्तकें विभिन्न प्रकार के सुगम्य प्रारूपों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिनमें ब्रेल, DAISY टॉकिंग बुक्स, ई-पब और अन्य डिजिटल प्रारूप, बड़े प्रिंट वाली सामग्री, भारतीय सांकेतिक भाषा-आधारित सामग्री, कैप्शनयुक्त शैक्षिक संसाधन और आवश्यकतानुसार अन्य सुगम्य प्रारूप शामिल हैं।

मौजूदा कानूनी और नीतिगत ढांचे के बावजूद, सुगम्य शिक्षण सामग्री की सीमित उपलब्धता के कारण दिव्यांग छात्रों की एक बड़ी संख्या को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में अभी भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एनईपी 2020 शिक्षा में सार्वभौमिक डिज़ाइन के माध्यम से समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा का समर्थन करता है और सभी शिक्षार्थियों के लिए सुगम्य शैक्षिक संसाधनों की आवश्यकता पर जोर देता है। इसलिए, बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी शैक्षिक स्तरों पर सुगम्य शिक्षण सामग्री की उपलब्धता का विस्तार करना आवश्यक है, साथ ही कई प्रारूपों में पाठ्यक्रम सामग्री तक समय पर और समान पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

सुगम्य शिक्षण सामग्री का विकास (DALM) परियोजना का उद्देश्य कई सुगम्य प्रारूपों में पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करके दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 और एनईपी 2020 के अनुरूप, यह परियोजना शैक्षिक स्तरों और दिव्यांगता श्रेणियों में पहुंच के अंतराल को कम करने का प्रयास करती है। शिक्षा में सार्वभौमिक डिज़ाइन के सिद्धांतों पर आधारित सुगम्य शिक्षण संसाधनों को बढ़ावा देकर, DALM से भागीदारी बढ़ाने, शिक्षण परिणामों में सुधार करने, रिटेंशन (पढ़ाई जारी रखने) को मजबूत करने और दिव्यांग छात्रों के अधिकारों, गरिमा तथा समान अवसरों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

2. परियोजना के उद्देश्य

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुगम्य शिक्षण सामग्री के उत्पादन के लिए सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।

ii. दिव्यांग छात्रों को नि:शुल्क सुगम्य शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए स्वीकृत और कार्यशील कार्यान्वियन एजेंसियों को आवर्ती सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।

iii. उत्पादन केंद्रों की स्थापना के लिए और सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास में लगे मौजूदा उत्पादन केंद्रों की क्षमता संवर्धन/आधुनिकीकरण के लिए गैर-आवर्ती सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

  क. नए ब्रेल प्रेस और मौजूदा ब्रेल प्रेसों का क्षमता संवर्धन/ आधुनिकीकरण ।

  ख. मौजूदा टॉकिंग बुक स्टूडियो का क्षमता संवर्धन/आधुनिकरण।

  ग. नए डिजिटल बुक उत्पादन केंद्र और मौजूदा डिजिटल बुक उत्पादन केंद्रों का क्षमता संवर्धन/ आधुनिकीकरण।

  घ. नए लार्ज प्रिंट (बड़े अक्षरों वाली सामग्री) उत्पादन केंद्रों और मौजूदा लार्ज प्रिंट उत्पादन केंद्रों का क्षमता संवर्धन/आधुनिकीकरण।

  ङ. विभिन्न दिव्यांगताओं वाले छात्र के लिए सुगम्य एवं उनकी अधिगम संबंधी दिव्यांगता के अनुरूप शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।

3. सुगम्य शिक्षण सामग्री का विस्तार

इस परियोजना के प्रयोजन के लिए, सुगम्य शिक्षण सामग्री का अर्थ केंद्रीय या राज्य स्कूली शिक्षा बोर्डों (एनआईओएस और अन्य ओपन स्कूली शिक्षा बोर्डों सहित), वैधानिक पेशेवर परिषदों, या विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों, पाठ्यक्रमों, कार्य पुस्तिकाओं और अन्य शिक्षण सामग्रियों से है, जो निम्नलिखित सहित, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, उपयुक्त सुगम्य प्रारूपों में हों:

क्र.सं.	दिव्यांगता	सुगम्य प्रारूप
1	दृष्टि दिव्यांगता	क) ब्रेल ख) ई-पब ग) बड़े प्रिंट (केवल निम्न (कम) दृष्टि/लो विजन के लिए) घ) मानव द्वारा स्वरबद्ध (नैरेटेड) DAISY टॉकिंग बुक ङ) स्पर्शनीय मानचित्र/छवियाँ च) अवधारणा विकास के लिए 3-डी मॉडल छ) ऐसे अन्य कोई भी समकालीन प्रारूप जो छात्रों के शैक्षिक परिणामों में सुधार करते हैं, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में।
2	वाक् और श्रवण दिव्यांगता	क) भारतीय सांकेतिक भाषा मल्टीमीडिया वीडियो ख) आईएसएल स्वरबद्ध शैक्षिक सामग्री / स्कूली पाठ्य-पुस्तकें। ऐसे अन्य कोई भी समकालीन प्रारूप जो छात्रों के

क्र.सं.	दिव्यांगता	सुगम्य प्रारूप
		शैक्षिक परिणामों में सुधार करते हैं, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में। ग) राष्ट्रीय संस्थानों / अन्य सक्षम सरकारी संगठनों द्वारा विकसित मानकीकृत पाठ्यक्रम आधारित सुगम शिक्षण सामग्री। घ) ऐसे अन्य कोई भी समकालीन प्रारूप जो सीखने के परिणामों को बेहतर बनाएंगे।
3	बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता, विकासात्मक विलंब और दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लयूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार अन्य कोई भी अधिगम दिव्यांगता	क) राष्ट्रीय संस्थानों/अन्य सक्षम सरकारी संगठनों द्वारा विकसित मानकीकृत पाठ्यक्रम आधारित सुगम्य शिक्षण सामग्री। ख) संवर्धित और वैकल्पिक संचार (एएसी) आधारित शैक्षिक सामग्री। ग) दृश्य-श्रव्य (ऑडियो-विजुअल) शैक्षिक सामग्री। घ) आसानी से पढ़ने योग्य (Easy to Read) सामग्रियां, सरलीकृत पाठ्यपुस्तकें, दृश्य अनुसूचियां (विजुअल शेड्यूल्स), सुगम्यता-आधारित निर्देशात्मक बहुसंवेदी (मल्टीसेंसरी) सामग्री। ङ) इंटरैक्टिव वाक् और संचार शिक्षण सामग्री। च) ऐसे अन्य कोई भी समकालीन प्रारूप जो सीखने के परिणामों को बेहतर बनाएंगे।

4. परियोजना के तहत समितियाँ

4.1 स्क्रीनिंग (जांच) समिति:

स्क्रीनिंग समिति एक मार्गदर्शक और कार्यकारी समिति के रूप में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य करेगी और वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी। समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

1.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में इस परियोजना से जुड़े संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक का एक अधिकारी	अध्यक्ष
2.	इस परियोजना को संभालने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का उप सचिव/निदेशक	सदस्य सचिव
3.	निदेशक, एनआईईपीवीडी (एक नोडल एजेंसी के रूप में)	सदस्य

4.	उप सचिव/निदेशक (आईएफडी), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	सदस्य
5	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के सलाहकार (लागत) के कार्यालय के प्रतिनिधि	सदस्य
6	परियोजना से जुड़ी नोडल एजेंसी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	संबंधित दिव्यांगता श्रेणी के लिए कोर ग्रुप के सदस्य	सदस्य

4.1.1 स्क्रीनिंग (जांच) समिति के कार्य:

स्क्रीनिंग समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:

i. परियोजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों के (पैनल में शामिल करने) के प्रस्तावों पर विचार करना।
ii. परियोजना के तहत गैर-आवर्ती सहायता अनुदान के प्रस्तावों पर विचार करना।
iii. परियोजना के तहत आवर्ती सहायता अनुदान के प्रस्तावों पर विचार करना।
iv. नोडल एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करना और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना।
v. आवर्ती सहायता अनुदान घटक के तहत सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास के लिए प्रतिपूर्ति दरों की समीक्षा करना और उन्हें अंतिम रूप देना।
vi. परियोजना के लिए निगरानी (मॉनिटरिंग) तंत्र विकसित करना और उसकी समीक्षा करना।
vii. नोडल एजेंसी के प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति को मंजूरी देना।
viii. परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई अन्य निर्णय लेना।

4.2 कोर ग्रुप:

विभिन्न दिव्यांगता श्रेणियों के लिए अलग-अलग कोर ग्रुप होंगे, जो इस प्रकार हैं:

4.2.1 दृष्टि दिव्यांगता के लिए कोर ग्रुप

i. निदेशक, एनआईईपीवीडी – ग्रुप हेड
ii. संबंधित कार्य क्षेत्र (डोमेन) में काम करने वाला एक विशेषज्ञ – सदस्य
iii. संबंधित कार्य क्षेत्र (डोमेन) के प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों/नवाचारकर्ताओं/प्रौद्योगिकीविदों का प्रतिनिधि – विशेष आमंत्रित

4.2.2 श्रवण और वाक् दिव्यांगजन के लिए कोर ग्रुप

i. निदेशक, एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई – ग्रुप हेड
ii. संबंधित कार्य क्षेत्र (डोमेन) में काम करने वाला एक विशेषज्ञ – सदस्य
iii. संबंधित कार्य क्षेत्र (डोमेन) के प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों/नवाचारकर्ताओं/प्रौद्योगिकीविदों का प्रतिनिधि – विशेष आमंत्रित
iv. नोडल एजेंसी का एक सदस्य।

4.2.3 बौद्धिक दिव्यांगता के लिए कोर ग्रुप

i. निदेशक, एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद – ग्रुप हेड
ii. संबंधित कार्य क्षेत्र (डोमेन) में काम करने वाला एक विशेषज्ञ – सदस्य
iii. संबंधित कार्य क्षेत्र (डोमेन) के प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों/नवाचारकर्ताओं/प्रौद्योगिकीविदों का प्रतिनिधि – विशेष आमंत्रित।
iv. नोडल एजेंसी का एक सदस्य।

4.2.4 कोर ग्रुप के कृत्य: कोर ग्रुप निम्नलिखित कार्य करेगा:

i. भौतिक या डिजिटल रूप में नए सुगम्य प्रारूपों को शामिल करने के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी को सलाह देना।
ii. ऐसे प्रारूपों में सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को देय लागत तंत्र/दरों की सिफारिश करना।
iii. संबंधित दिव्यांगता श्रेणी से संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा करने में नोडल एजेंसी की सहायता करना।
iv. संबंधित दिव्यांगता श्रेणी से संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के निरीक्षण और मूल्यांकन में नोडल एजेंसी की सहायता करना।
v. स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का निष्पादन करना।
vi. विचार के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को मूल्यांकन, प्रगति, निगरानी के लिए निर्धारित प्रारूप सुझाए जाने की आवश्यकता है।

5. नोडल एजेंसी

इस परियोजना के लिए, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। संस्थान प्रस्तावों की संवीक्षा करने, कार्यान्वयन एजेंसियों से रिपोर्ट प्राप्त करने, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और सक्षम प्राधिकारी/निकाय द्वारा प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एजेंडा नोट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।

5.1 नोडल एजेंसी निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगी:

i. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास से संबंधित प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अपनी वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन जारी करना और सूचना देना।

ii. प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ निर्धारित आवेदन प्रारूप में, कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में पैनलबद्ध होने के इच्छुक संगठनों से आवेदन प्राप्त करना और पात्रता मानदंडों के संदर्भ में उनकी संवीक्षा करना।

iii. निर्धारित मूल्यांकन प्रारूप में परियोजना के तहत आवेदन करने वाले संगठनों/संस्थानों के मूल्यांकन और भौतिक सत्यापन के लिए, नोडल एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, निरीक्षण टीमों का गठन करना।

iv. सूचना और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए डीईपीडब्ल्यूडी को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

v. आवेदनों की जांच करना और स्क्रीनिंग कमेटी के विचारार्थ पात्र प्रस्तावों की सिफारिश करना। नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि डीईपीडब्ल्यूडी/स्क्रीनिंग कमेटी को प्रस्तुत करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन कर लिया जाए।

vi. सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित मूल्यांकन प्रारूप में कार्यान्वयन एजेंसियों/अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों के संस्थापन-पश्चात निरीक्षण के लिए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, निरीक्षण समितियों का गठन करना।

vii. निरीक्षण समितियों से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना और विचार तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीईपीडब्ल्यूडी को अग्रेषित करना।

viii. कार्यान्वयन एजेंसियों से आवर्ती सहायता-अनुदान (Recurring Grant-in-Aid) के लिए अनुरोध प्राप्त करना और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद विचार के लिए उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखना।

ix. कार्यान्वयन एजेंसियों से निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप में समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना, उनका रिकॉर्ड रखना और उचित कार्रवाई के लिए उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखना।

x. कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों की समेकित निष्पादन रिपोर्ट तैयार करना और उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी/ डीईपीडब्ल्यूडी को प्रस्तुत करना।

xi. परियोजना के कार्यान्वयन में उत्पादकता, सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के मशीन ऑपरेटरों, रिकॉर्ड कीपरों, लेखाकारों और अन्य कार्मिकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करना।

xii. सुगम्य शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और वितरण में सुधार के लिए, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों सहित हितधारकों के बीच परियोजना को लोकप्रिय बनाने के उपाय करना।

xiii. जहां भी व्यावहारिक हो, अन्य प्रासंगिक कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ अभिसरण (संमिलन) को सुविधाजनक बनाना।

xiv. बॉर्न-एक्सेसिबल (स्वयं-सुगम्य) शिक्षण सामग्री के विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर के संगठनों/संस्थानों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रमों का उपक्रम करना।

6. कार्यान्वयन एजेंसियां

i. इस परियोजना के प्रयोजन के लिए, कार्यान्वयन एजेंसियों का तात्पर्य उन संगठनों से होगा जो डीएएलएम (डीएएलएम) परियोजना के तहत सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास और उत्पादन में सीधे तौर पर शामिल हैं तथा आवर्ती और/या गैर-आवर्ती व्यय के लिए सहायता-अनुदान प्राप्त करते हैं।

ii. पात्र संगठन सुगम्य शिक्षण सामग्री के एक या अधिक प्रारूपों के उत्पादन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में पैनलबद्ध होने हेतु आवेदन कर सकते हैं। परियोजना के तहत पैनलबद्ध होने का इच्छुक कोई भी संगठन पैरा 6.1 में निर्दिष्ट अनिवार्य मानदंडों और पैरा 6.2 में निर्दिष्ट अतिरिक्त मानदंडों को पूरा करेगा।

6.1 कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए अनिवार्य मानदंड/पात्रता शर्तें

i. डीईपीडब्ल्यूडी, एलिम्को, नेशनल ट्रस्ट, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तहत राष्ट्रीय संस्थान और समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), या क्षेत्र में काम करने वाली उनकी एजेंसियां परियोजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगी। या, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी तदनुरूपी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए,

या ट्रस्ट भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। या, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार धारा 8 कंपनियां यानी गैर-लाभकारी कंपनियां।

ii. संगठन या तो तत्कालीन दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

iii. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)/ट्रस्ट/धारा 8 कंपनियों को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और उनके पास एक वैध विशिष्ट आईडी (Unique ID) होनी चाहिए।

6.2 अतिरिक्त मानदंड

क्र.सं.	प्रारूप	शर्तें
1.	ब्रेल प्रेस	क) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई हाई-स्पीड कम्प्यूटरीकृत ब्रेल प्रेस नहीं होनी चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में इस शर्त में ढील दी जा सकती है। ख) ब्रेल प्रेस की स्थापना के लिए कम से कम 1,500 वर्ग फीट का विशिष्ट निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए, साथ ही ब्रेल पेपर और ब्रेल पुस्तकों के विशिष्ट भंडारण के लिए कम से कम 400 वर्ग फीट का अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।
2.	ई-पब/डिजिटल पुस्तक उत्पादन	क) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परियोजना के तहत पहले से स्थापित कोई ई-पब/डिजिटल पुस्तक उत्पादन केंद्र/कार्यान्वयन एजेंसी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में इस शर्त में ढील दी जा सकती है। ख) ई-पब/डिजिटल पुस्तक उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए कम से कम 500 वर्ग फीट का विशिष्ट निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।
3.	मानव-वर्णित टॉकिंग बुक उत्पादन	क) संगठन के पास मानव-वर्णित टॉकिंग बुक उत्पादन सुविधाएं होनी चाहिए। ख) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परियोजना के तहत पहले से

क्र.सं.	प्रारूप	शर्तें
		स्थापित कोई अन्य कार्यान्वयन एजेंसी नहीं होनी चाहिए। ग) मानव-वर्णित टॉकिंग बुक उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए कम से कम 1,000 वर्ग फीट का विशिष्ट निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।
4.	लार्ज प्रिंट बुक उत्पादन	क) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परियोजना के तहत पहले से स्थापित कोई लार्ज प्रिंट बुक उत्पादन केंद्र/कार्यान्वयन एजेंसी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में इस शर्त में ढील दी जा सकती है। ख) लार्ज प्रिंट बुक उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए कम से कम 1,000 वर्ग फीट का विशिष्ट निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।
5.	भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) सामग्रियां या ऐसी ही कोई अन्य शिक्षण सामग्रियां।	क) संगठन के पास भारतीय सांकेतिक भाषा अनुवाद, बधिर शिक्षा, सुगम्य मल्टीमीडिया उत्पादन, कैप्शनिंग और वीडियो संपादन में विशेषज्ञता होनी चाहिए। ख) संगठन को अधिमानतः प्रमाणित बधिर आईएसएल सांकेतिक भाषा उपयोगकर्ताओं (signers), आईएसएल दुभाषियों, बधिर वीडियो संपादकों और मल्टीमीडिया सुगम्यता पेशेवरों को नियुक्त करना चाहिए। ग) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सिपडा के तहत पहले से स्थापित कोई अन्य आईएसएल सुगम्य शिक्षण उत्पादन केंद्र अधिमानतः नहीं होना चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में इस शर्त में ढील दी जा सकती है। घ) उपकरण भंडारण, संपादन और सत्यापन गतिविधियों के लिए अतिरिक्त स्थान के साथ-साथ, आईएसएल रिकॉर्डिंग और संपादन स्टूडियो के लिए कम से कम 1,000 वर्ग फीट का विशिष्ट निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।
6.	बौद्धिक दिव्यांगताओं के लिए शिक्षण सामग्रियां	क) संगठन के पास बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के लिए सुगम्य शिक्षण सामग्री विकसित करने में विशेषज्ञता होनी चाहिए। ख) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सिपडा के तहत पहले से स्थापित ऐसा कोई अन्य सुगम्य शिक्षण उत्पादन केंद्र अधिमानतः नहीं होना चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में इस शर्त में ढील दी जा सकती है।

नोट: सरकारी निकायों/एजेंसियों के लिए निर्धारित मानदंडों में ढील दी जा सकती है। हालांकि, स्वैच्छिक संगठनों के आवेदनों के मामले में, आवेदक संगठन कम से कम तीन साल से पंजीकृत होना चाहिए और उसे इस अवधि के दौरान दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को लगातार कार्यान्वित करना चाहिए। संगठन ऑडिट

किए गए खातों की एक उचित प्रणाली भी बनाए रखेगा। कोर ग्रुप, उपर्युक्त अतिरिक्त मानदंडों में किसी भी बदलाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए प्रारूप-विशिष्ट मानदंडों का सुझाव देगा।

7. कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियां

i. कार्यान्वयन एजेंसियां निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप में नोडल एजेंसी को आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और उनका रिकॉर्ड बनाए रखेंगी।

ii. कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना के आवर्ती सहायता-अनुदान घटक के तहत विधिवत अनुमोदित सुगम्य शिक्षण सामग्री के उत्पादन हेतु प्रतिपूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत करेंगी।

iii. सभी प्रतिपूर्ति प्रस्तावों के साथ एक घोषणा संलग्न होगी जिसमें यह कहा जाएगा कि किसी अन्य केंद्रीय सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, सीएसआर पहल या किसी अन्य वित्तपोषण स्रोत के तहत उसी गतिविधि के लिए कोई भुगतान का दावा नहीं किया गया है या आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iv. स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्धारित किसी भी रिपोर्टिंग अवधि के दौरान यदि कोई सुगम्य शिक्षण सामग्री का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित अवधि के लिए नोडल एजेंसी को 'शून्य' (NIL) रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

v. कार्यान्वयन एजेंसियां स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए काम करने वाले संगठनों से प्राप्त ऑर्डरों का रिकॉर्ड तथा परियोजना के तहत लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों का विवरण बनाए रखेंगी।

vi. कार्यान्वयन एजेंसियां स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों, संगठनों और लाभार्थियों द्वारा सुगम्य शिक्षण सामग्री की प्राप्ति के प्रेषण और पावती का रिकॉर्ड बनाए रखेंगी।

vii. कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना के लिए अलग से लेखा पुस्तकें बनाए रखेंगी और कार्यान्वयन एजेंसी की वेबसाइट पर वर्ष के दौरान सेवा प्रदान किए गए लाभार्थियों का विवरण अपलोड करेंगी।

viii. कार्यान्वयन एजेंसी गैर-आवर्ती अनुदान के तहत अधिप्राप्ति (procurement) के लिए जीएफआर और तदनुरूप सरकारी नियमों, मानदंडों तथा मानक प्रथाओं को सुनिश्चित करेगी। कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना से संबंधित बिलों, वाउचरों, ऑडिट किए गए खातों और उपयोग प्रमाण पत्रों का रिकॉर्ड

बनाए रखेंगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में या आवश्यकतानुसार नोडल एजेंसी को इन्हें उपलब्ध कराएंगी।

ix. कार्यान्वयन एजेंसियां हितधारकों, शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षा विभागों के बीच अपने मैप किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना को लोकप्रिय बनाने के उपाय करेंगी।

8. देरी के लिए जुर्माना

सुगम्य शिक्षण सामग्री (ब्रेल पुस्तकों सहित) की मांग से संबंधित पिछले रुझानों के आधार पर, कार्यान्वयन एजेंसियां मांग का अनुमान लगाएंगी और पर्याप्त स्टॉक बनाए रखेंगी ताकि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में विद्यार्थियों को सामग्रियां उपलब्ध हो सकें। यह अपेक्षित है कि कार्यान्वयन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि ऑर्डर प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों को सामग्रियां (ब्रेल पुस्तकों सहित) की आपूर्ति कर दी जाए।

देरी के मामलों में, निम्नलिखित जुर्माना लागू होगा:

क्र.सं.	सामग्री की आपूर्ति में देरी	देरी के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों पर जुर्माना
1	ऑर्डर प्राप्त होने की तिथि से एक कैलेंडर माह के बाद स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों द्वारा सामग्री प्राप्त की गई	कुल लागत का 10%
2	ऑर्डर प्राप्त होने की तिथि से दो से तीन कैलेंडर माह के बाद स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों द्वारा सामग्री प्राप्त की गई	कुल लागत का 25%
3	ऑर्डर प्राप्त होने की तिथि से चार से छह कैलेंडर माह के बाद स्कूलों/कॉलेजों/सं स्थानों द्वारा सामग्री प्राप्त की गई	कुल लागत का 50%
4	ऑर्डर प्राप्त होने की तिथि से छह कैलेंडर माह से अधिक समय के बाद स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों द्वारा सामग्री प्राप्त की गई	कुल लागत का 100%

8.1 जुर्माना प्रावधानों का अनुपालन

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपर्युक्त जुर्माना प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना और तदनुसार प्रतिपूर्ति प्रस्तावों पर कार्रवाई करना नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

9. लाभार्थियों के लिए पात्रता शर्तें

i. किसी भी आयु का भारतीय नागरिक हो ।
ii. मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी (यूडीआईडी) कार्ड या कम से कम 40% दिव्यांगता वाले दिव्यांगता प्रमाण पत्र (या विकासात्मक देरी प्रमाण पत्र) के साथ यूडीआईडी कार्ड की नामांकन संख्या होनी चाहिए ।
iii. एक वैध आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या धारक हो।
iv. डीएएलएम परियोजना के तहत उसी शैक्षणिक वर्ष में समान शिक्षण सामग्री प्राप्त नहीं की हो।

9.1 व्यक्तिगत लाभार्थी

आधारभूत स्तर से लेकर उच्च शिक्षा (पेशेवर पाठ्यक्रमों सहित) तक में नामांकित बेंचमार्क दिव्यांगजन (वैध यूडीआईडी नंबर वाले) व्यक्तिगत छात्र, कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इस परियोजना के तहत सुगम्यता अधिगम सामग्री प्राप्त करने के पात्र होंगे।

i. उपयुक्त सुगम रूपों में बेंचमार्क दिव्यांगजन छात्रों के लिए आधारभूत स्तर से उच्च शिक्षा तक पाठ्यपुस्तकें, जिनमें कंप्यूटर पुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएँ, संगीत पुस्तकें, सैंपल पेपर और कहानी की पुस्तकें शामिल हैं, लेकिन ये पाठ्य पुस्तकें इन्हीं तक सीमित नहीं हैं)।
ii. दृष्टिबाधित छात्रों (होम-स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों सहित) के लिए आधारभूत स्तर से उच्च शिक्षा तक स्पर्शनीय (टैक्टाइल) मानचित्र/चित्र (प्रति छात्र प्रति शैक्षणिक वर्ष 25 पृष्ठों तक)।
iii. कक्षा पाँच और उससे आगे के दृष्टिबाधित बच्चों/व्यक्तियों को वर्ष में एक बार (दिसंबर या जनवरी के दौरान) ब्रेल कैलेंडर प्रदान किए जा सकते हैं।
iv. होम-स्कूली शिक्षा सहित आधारभूत स्तर से उच्च शिक्षा तक श्रवण बाधित बच्चों को सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) की शैक्षणिक सामग्रियां और इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री प्रदान की जा सकती है। कॉलेज के छात्रों और पेशेवर पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए डिजिटल रूपों को बढ़ावा दिया जाएगा।
v. आधारभूत स्तर से स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर तक के बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों को बहु-संवेदी सुगम अधिगम सामग्री या अनुकूली अधिगम सामग्री प्रदान की जा सकती है।
vi. सभी दिव्यांगता श्रेणियों में उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए डिजिटल रूपों को बढ़ावा दिया जाएगा।
vii. प्रतियोगी परीक्षा के संसाधन, पुरस्कार विजेता पुस्तकें और सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकें मांग पर, अधिमानतः डिजिटल रूपों में विकसित की जा सकती हैं। भौतिक रूप सामुदायिक संसाधनों के रूप में प्रदान किए जा सकते हैं।

9.2 संस्थागत लाभार्थी

विशेष विद्यालय, समावेशी विद्यालय, जिला समावेशी शिक्षा प्रकोष्ठ और प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र भी संसाधन केंद्रों के विकास के लिए निम्नलिखित सुगम सामग्रियां प्राप्त करने के पात्र होंगे:

i. स्पर्शनीय (टैक्टाइल) मानचित्रों/चित्रों का सेट (जहाँ कम से कम पाँच दृष्टिबाधित छात्र नामांकित हों)।
ii. भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) सामग्री का सेट (जहाँ कम से कम पाँच श्रवण बाधित छात्र नामांकित हों)।
iii. बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री का सेट (जहाँ ऐसे कम से कम पाँच छात्र नामांकित हों)।
iv. अवधारणा स्पष्टीकरण के लिए 3-डी मॉडल।
v. स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी कोई अन्य सामग्री।
vi. दिव्यांगताओं के पार समूह वस्तुएँ।

नोट: मान्यता प्राप्त विद्यालयों/संस्थानों में पढ़ाने वाले दिव्यांग शिक्षकों के लिए डिजिटल रूपों में सुगम पुस्तकें भी इस परियोजना के अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं।

10. क्षमता निर्माण

i. देश के विभिन्न आयु वर्ग और क्षेत्रों के दिव्यांग छात्रों के लिए सुगम अधिगम सामग्री की उपलब्धता को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न हितधारकों का क्षमता निर्माण इस परियोजना का हिस्सा होगा।

ii. नोडल एजेंसी निम्नलिखित के लिए संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों के समन्वय से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगी:
   क) तकनीशियन/ब्रेल प्रेस ऑपरेटर;
   ख) ब्रेल प्रेस मैनेजर/प्रबंधक;
   ग) ई-पब और डिजिटल पुस्तकों का विकास;
   घ) डेटा प्रबंधन और मेटाडेटा प्रविष्टि; तथा
   ङ) टॉकिंग बुक्स, वाचन तकनीक और अन्य उभरते मुद्दे।
   च) खरीद प्रक्रिया/जीएफआर (GFR)
   छ) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित कोई अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

iii. विभिन्न प्रारूपों में सुगम अधिगम सामग्री की उपलब्धता के संबंध में एक ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए नोडल एजेंसी के अधिकारियों का प्रशिक्षण।

11. आवर्ती और गैर-आवर्ती सहायता अनुदान

11.1 गैर-आवर्ती अनुदान का विमोचन

i. परियोजना के कार्यान्वयन की गैर-आवर्ती लागत दो समान किस्तों में जारी की जाएगी, यानी जीएफआर (GFR) प्रावधानों के अनुसार पहली किस्त के रूप में स्वीकृत लागत का 50% और आवश्यकता-आधारित मूल्यांकन के बाद दूसरी किस्त के रूप में शेष 50%। मूल्यांकन मानदंड स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा तय किए जाएंगे।

ii. स्थापना के बाद के मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, नोडल एजेंसी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार के लिए पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों के संबंध में दूसरी किस्त जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

iii. परियोजना के तहत स्थापित सुविधाओं के बड़े रखरखाव के लिए भी गैर-आवर्ती अनुदान जारी किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव नोडल एजेंसी द्वारा मूल्यांकन और सिफारिश के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे जाएंगे।

iv. स्क्रीनिंग कमेटी के अनुमोदन के अधीन, एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी को गैर-आवर्ती अनुदान भी जारी किया जा सकता है।

v. परियोजना के अनुमोदन और स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुदान की मंजूरी के बाद, निम्नलिखित ऊपरी सीमाओं के अधीन, नोडल एजेंसी द्वारा संगठन को गैर-आवर्ती सहायता अनुदान (जीआईए) जारी किया जाएगा:

क्र.सं.	मद	ऊपरी सीमा
1	ब्रेल प्रेस	स्थापना / आधुनिकीकरण / क्षमता संवर्धन: 2 करोड़ तक
2	लार्ज प्रिंट प्रेस	स्थापना / आधुनिकीकरण: 70 लाख तक
3	टॉकिंग बुक स्टूडियो (ह्यूमन नैरेटेड)	उन्नयन / आधुनिकीकरण: 10 लाख तक
4	ई-पब प्रोडक्शन यूनिट	स्थापना / आधुनिकीकरण / क्षमता संवर्धन: 6 लाख तक
5	आईएसएल मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट	उन्नयन / आधुनिकीकरण: 23 लाख तक

क्र.सं.	मद	ऊपरी सीमा
6	इंटरैक्टिव एक्सेसिबल मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट	उन्नयन / आधुनिकीकरण: 10 लाख तक

vi. ब्रेल पृष्ठों, बड़े अक्षरों वाली सामग्री, स्पर्शनीय (टैक्टाइल) सामग्री, ई-पब सामग्री, टॉकिंग बुक्स, 3-डी मॉडल, सांकेतिक भाषा की शैक्षणिक सामग्री और अन्य सुगम अधिगम सामग्री के उत्पादन केंद्र के विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सलाहकार (लागत) के परामर्श से स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। लागत विश्लेषण और प्रचलित बाजार रुझानों के आधार पर संबंधित कोर समूहों द्वारा ऐसे सभी प्रारूपों के लिए आवश्यक वस्तुओं और ऊपरी सीमा दरों में किसी भी बदलाव की सिफारिश की जाएगी। अतिरिक्त फर्नीचर, फिक्स्चर और सिविल या विद्युत कार्यों को परियोजना प्रस्ताव के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा।

11.2 आवर्ती अनुदान जारी करना

i. परियोजना के तहत, स्वीकृत और कार्यरत कार्यान्वयन एजेंसियों को दिव्यांग छात्रों को नि:शुल्क सुगम अधिगम सामग्री प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए, स्क्रीनिंग कमेटी के अनुमोदन के अधीन आवर्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

ii. राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, एनजीओ या अन्य पात्र संगठनों द्वारा संचालित कार्यान्वयन एजेंसियां, जिन्हें परियोजना के तहत गैर-आवर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है, जो कार्य कर रही हैं, और जो नोडल एजेंसी को नियमित रूप से निर्धारित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत/अपलोड कर रही हैं, वे आवर्ती सहायता अनुदान के पात्र होंगी।

iii. वित्तीय वर्ष के दौरान जारी कुल सहायता अनुदान के 5% तक नोडल एजेंसी द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय को आवर्ती अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति किया जा सकता है।

iv. नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी परियोजना के प्रशासनिक प्रमुख के अंतर्गत की जा सकती है।

11.2.1 योजना के अंतर्गत वहन की गई आवर्ती लागत की दरें:

ब्रेल पृष्ठों, बड़े अक्षरों वाली सामग्री, स्पर्शनीय सामग्री, ई-पब सामग्री, टॉकिंग बुक्स, 3-डी मॉडल, सांकेतिक भाषा की शैक्षणिक सामग्री और अन्य सुगम अधिगम सामग्री की दरें प्रकृति में गतिशील (परिवर्तनीय) हैं। तदनुसार, ऐसी दरों को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सलाहकार (लागत) के परामर्श से स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। लागत विश्लेषण और प्रचलित बाजार रुझानों के आधार पर संबंधित कोर समूहों द्वारा ऐसे सभी प्रारूपों की दरों की सिफारिश की जाएगी।

12. मॉनिटरिंग तंत्र

i. **जीएफआर, 2017 (यथासंशोधित) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन:-** खरीद, समय-समय पर यथासंशोधित जीएफआर, 2017 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। नोडल एजेंसी और कार्यान्वयन एजेंसियां एक संपत्ति इन्वेंट्री बनाए रखेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि संपत्तियों की कोई दोहरी पुनरावृत्ति (डुप्लीकेशन) न हो।

ii. **बनाई गई संपत्तियों की मॉनिटरिंग और सत्यापन:-** परियोजना के तहत बनाई गई संपत्तियों की मॉनिटरिंग और सत्यापन के लिए पूर्व-स्थापना और स्थापना के बाद के निरीक्षण किए जाएंगे।

iii. **सेवा वितरण की गुणवत्ता और लाभार्थी पहचान:-** कार्यान्वयन एजेंसियां नोडल एजेंसी को ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। नोडल एजेंसी लाभार्थियों के विवरण को संकलित करेगी और दिव्यांगजन को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

iv. **परिणामों की मॉनिटरिंग:-** परियोजना के प्रदर्शन की मॉनिटरिंग के लिए, नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा करेगी कि पहचाने गए संकेतकों के मुकाबले प्रगति वांछित प्रक्षेपवक्र पर है या नहीं। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो नोडल एजेंसी स्क्रीनिंग कमेटी और दिव्यांगजन के विचार के लिए बाधाओं की पहचान करने और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

v. **भौतिक सत्यापन**

क) नोडल एजेंसी/दिव्यांगजन की केंद्रीय परियोजना मॉनिटरिंग इकाई (सीपीएमयू)/विभाग के अधिकारी योजना के तहत समर्थित कम से कम 25% संगठनों का भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। निष्पक्षता, पारदर्शिता और पर्याप्त भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन हेतु संगठनों का चयन यादृच्छिक (रैंडम) चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

ख) यह योजना कार्यान्वयन एजेंसियों/संगठन द्वारा पारदर्शिता, दक्षता, सेवा वितरण की गुणवत्ता, लाभार्थी कवरेज और योजना के मानदंडों के पालन का आकलन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा आवधिक तृतीय-पक्ष सामाजिक लेखापरीक्षा (सोशल ऑडिट) का प्रावधान करेगी।

ग) लाभार्थी संतुष्टि सर्वेक्षण समय-समय पर टेली-कॉलिंग या, जहाँ लागू हो, प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। सर्वेक्षण का उद्देश्य योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, उपयोगिता, सुगम्यता, समयबद्धता और उपयुक्तता का आकलन करना होगा।

13. सामान्य शर्तें

i. कार्यान्वयन एजेंसियां बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय दिव्यांगजन/नोडल एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

ii. कार्यान्वयन एजेंसियां हर महीने की 5 तारीख को या उससे पहले नोडल एजेंसी को निर्धारित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत/अपलोड करेंगी।

iii. कार्यान्वयन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि परियोजना के तहत खरीदी गई मशीनरी निर्धारित मशीन जीवन और इष्टतम उत्पादकता प्राप्त करे।

iv. कार्यान्वयन एजेंसियां मशीन/उपकरण/संसाधनों की पूरी क्षमता का उपयोग करेंगी, जिसकी मॉनिटरिंग नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी।

v. संगठन नोडल एजेंसी से अनुदान प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर गैर-आवर्ती सहायता अनुदान का उपयोग करेगा। नोडल एजेंसी के अनुमोदन से उपयोग अवधि को आगे तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुदान का उपयोग करने में विफल रहने की स्थिति में, संगठन लागू ब्याज के साथ अनुदान वापस करेगा।

vi. कार्यान्वयन एजेंसियां व्यय के विवरण के साथ गैर-आवर्ती सहायता अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी।

कार्यान्वयन एजेंसियां डीएएलएम (DALM) परियोजना के तहत सेवा प्रदान किए गए लाभार्थियों की किसी अन्य ऐसी परियोजनाओं के साथ दोहरी पुनरावृत्ति (डुप्लीकेशन) में शामिल नहीं होंगी। किसी भी मामले में, यदि उसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य ऐसी परियोजना के साथ डीएएलएम के तहत

डुप्लीकेट लाभार्थी पाए जाते हैं, तो कार्यान्वयन एजेंसियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

vii. नोडल एजेंसी और कार्यान्वयन एजेंसियां समय-समय पर यथासंशोधित कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करेंगी।

viii. सुगम अधिगम सामग्री को, जहाँ तक व्यावहारिक हो, इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि अन्य दिव्यांगताओं और प्रिंट दिव्यांगता वाले छात्रों द्वारा भी उनका उपयोग किया जा सके।

ix. गैर-सरकारी संगठन अपने प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से अग्रेषित करेंगे।

x. "सुगम अधिगम सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना" के तहत मौजूदा कार्यान्वयन एजेंसियों को इस परियोजना के तहत विलय हुआ माना जाएगा।

xi. नोडल एजेंसी, दिव्यांगजन के परामर्श से, परियोजना के तहत बनाई गई बुनियादी संरचना, मशीनरी, उपकरण या अन्य संसाधनों को किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी को या नोडल एजेंसी को स्थानांतरित कर सकती है।

xii. परियोजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए या निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है।

xiii. सुगम अधिगम सामग्री के विकास में गुणवत्ता, निरंतरता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगजन/नोडल एजेंसी समय-समय पर सुगम्यता दिशानिर्देश या मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी कर सकते हैं।

xiv. डिजिटल सामग्री के गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, नोडल एजेंसी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किसी भी गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता-जांच तंत्र को अपना सकती है। कार्यान्वयन एजेंसियां ऐसे सभी गुणवत्ता आश्वासन उपायों का अनुपालन करेंगी।

xv. इन दिशानिर्देशों की व्याख्या के संबंध में किसी भी विवाद या अस्पष्टता की स्थिति में, दिव्यांगजन का निर्णय अंतिम होगा।

14. निर्धारित प्रारूप:

निर्धारित आवेदन प्रारूपों से तात्पर्य परियोजना की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विधिवत अनुमोदित उन प्रारूपों और प्रोफार्मा से है, जो निम्नलिखित के लिए हैं:

i. गैर-आवर्ती सहायता अनुदान के तहत परियोजना के अंतर्गत एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करना।

ii. आवर्ती सहायता अनुदान के तहत परियोजना के अंतर्गत एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करना।

iii. आवर्ती सहायता अनुदान के तहत लाभार्थियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आवधिक रिपोर्ट (मासूम रिपोर्ट/ऑनलाइन गतिशील डेटा प्रविष्टि और रिपोर्ट) प्रस्तुत करना।

iv. मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन प्रारूप (पूर्व-स्थापना और स्थापना के बाद के निरीक्षण प्रारूपों सहित)।

15. परियोजना के प्रावधानों में परिवर्तन:

भारत सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, संबंधित वित्तीय सलाहकार के परामर्श सहित सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुमोदन से जब भी आवश्यक समझे, डीएएलएम परियोजना के प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है।

*****